

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज.)

email : dc-chi-rj@nic.in (01472-294081)

क्रमांक / स्थापना / 2024 / 326

दिनांक : 23.01.2024

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)151/22/48 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23700/- (अक्षरे तेईस हजार सात सौ मात्र) रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name of Candidate (Sarv Sh./Smt/Ms.)	DOB	Original Category	Alloted Categorized
01	50	41032	SUBHASH KUMAR SHARMA	09-06-2000	EWS	GEN
02	134	31850	MOHIT SONI	15-01-1998	OBC	GEN
03	139	26640	HARI KISHAN BAGREE	25-05-1993	EWS	GEN
04	140	40961	SOURABH PUROHIT	20-08-2002	EWS	GEN
05	142	33966	PRAMOD	17-05-2000	GEN	GEN
06	211	30643	MANISH GEHLOT	10-05-1993	OBC	OBC
07	216	41645	SURAJ PRAKASH RAJPUROHIT	10-07-1992	EWS	EWS
08	264	42716	VIDYA RAJ VERMA	29/11/1993	SC	SC
09	265	30081	LOKESH PATODIYA	25/10/1995	SC	SC

- सभी नियुक्तियां आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय की संयुक्त परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गयी हैं, सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण एवं व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य सरकार या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
- इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। अभ्यर्थी की आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर नियुक्ति कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमशः...2

9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. इस नियुक्ति आदेश साथ साक्ष्यांकन पत्र (06 पृष्ठ), चरित्र प्रमाण पत्र (01 पृष्ठ) एवं पुलिस सत्यापन पत्र (02 पृष्ठ) प्रेषित किये जा रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करते समय साक्ष्यांकन पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की पूर्ति की जाकर पदस्थापन कार्यालय के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। आपके जिले के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराया जाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अथवा प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जांच हेतु जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करें।
12. कार्यभार ग्रहण करते समय सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर योग्यता सम्बन्धी मूल दस्तावेजात एवं स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
14. समस्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन आदेश इस आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित है। अतः समस्त अभ्यर्थी सम्बन्धित पदस्थापन कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।

-----Sd-----

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 23.01.2024

क्रमांक/स्था./2024/ 327

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- 2 प्रभाराधिकारी (ई-कोर्ट) जिला एवं सेशन न्यायालय, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 3 सुभाष कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी सी-20 आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 4 मोहित सोनी पुत्र श्री शंकरलाल सोनी निवासी वार्ड नं. 27, आचार वालों की गली, शिव कॉलोनी, रामपुरा रोड़, सीकर जिला सीकर (राज.)
- 5 हरिकिशन बागड़ी पुत्र श्री किशन गोपाल बागड़ी निवासी कल्लों की गली, बिस्सो का चौक, कल्लों की गली, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)
- 6 सौरभ पुरोहित पुत्र श्री गिरीराज रतन पुरोहित निवासी झंवरों का चौक, केला गली, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)
- 7 प्रमोद पुत्र श्री सुभाष चन्द्र निवासी गांव पन्नीवाला मोटा जिला सिरसा (हरियाणा)
- 8 मनीष गहलोत पुत्र श्री सोहनलाल निवासी राम भरोसे नगर, नयापुरा, चौखां, जोधपुर जिला जोधपुर (राज.)
- 9 सूरज प्रकाश राजपुरोहित पुत्र श्री लीलाधर राजपुरोहित निवासी रोड़वेज डिपो के पीछे, हरिराम मंदिर के पास, इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)
- 10 विद्या राज वर्मा पुत्री श्री कन्हैयालाल वर्मा निवासी 801-बी, शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर जिला जयपुर (राज.)
- 11 लोकेश पाटोदिया पुत्र श्री बनवारीलाल पाटोदिया निवासी बिदाजी मन्दिर के पास, गांव बस्सी जिला जयपुर (राज.)
- 12 समस्त न्यायालय, चित्तौड़गढ़ न्यायक्षेत्र (जरिये ईमेल)
- 13 गार्ड/संबन्धित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़